सरकार इस प्रकार के जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों का पता लगाने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। श्रीनगर में स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है तथा वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेज दिया गया है।

प्रो सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : वह सरकारी पक्ष गलत है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : जो भी जानकारी दी गई है, वह शत-प्रतिशत सही है।...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रधानमन्त्री की बात सुननी चाहिये।

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मौलाना मीरवाइज फारूख की हत्या पर मैं अपना गहरा क्षोभ व्यक्त करना चाहूंगा। यह सारे सदन की भावना है। वह बहुत ही सम्मानित धार्मिक नेता थे। वह आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुये, यह स्पष्टतः आतंकवादियों के इरादों को दर्शाता है। और हम यह पाते हैं कि वे लोग उनका शिकार हुये हैं जो या तो उदारवादी थे या राष्ट्रवादी। राजनैतिक रूप से पुलिस या अर्ध सैनिक बलों के अलावा ये आतंकवादियों का शिकार हुये हैं। अतः हमें समझना चाहिये कि राजनैतिक रूप से गोलियों का निशाना कौन है। जो हमारे पास सूची है उसमें गुलाम मुस्तफा मीर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अब्दुल सत्तार रंजूर एक स्वतन्त्रता सेनानी, शेख मन्सूर विधायक, गुलाम नबी सुस्सर, डा. फारूख अब्दुल्ला का जीवन भी खतरे में है। मैं यह कहूंगा कि नेशनल कान्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस के लोग भी आतंकवादियों का शिकार हुये हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी हमले हुये हैं हैं।...(व्यवधान) ऐसे लोग हैं। यहां तक कि एक श्रमिक भी महत्वपूर्ण हैं (व्यवधान) रावत जी, क्या यह व्यवधान डालने का समय है? आप अन्य विषयों पर मेरी तीव्र आलोचना कर सकते हैं, ऐसे 101 विषय हैं। हमें इस मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिये। मेरा यह कहना है कि सभी लोगों और दलों ने अपनी देश भक्ति उस खून से सिद्ध की है जिसे उन्होंने इस देश के लिए बहाया है। और वे वे ताकतें हैं जिन्हें हमें एक साथ मिलाना है। इनका निर्णय कैसे किया जाए, यह एक मुख्य बात है। यह वह विभाजक रेखा है जहां हमें देखना है कि कौन अलगाववाद के समर्थक हैं और कौन देश के हित में हैं। इस संबंध में कोई और विभाजक रेखा भी हो सकती है। लेकिन हमें उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अतः धार्मिक आस्था आदि पहलू भी हो सकते हैं लेकिन यह विभाजक रेखा है। लक्ष्य भी यही है और यह सुनिश्चित करना भी हमारी समान रूप से जिम्मेदारी है कि ये ताकतें एक साथ आगे आयें और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और इस चुनौती को हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तथा यह हमारा कर्तव्य भी है। श्री साठे ने कहा था कि चाहे एक नागरिक सुरक्षा के लिए कहता है या नहीं यह मुद्दा नहीं है। यह सरकार का कर्तव्य है कि चाहे कोई कहे या नहीं कहे सरकार को उसे पूरी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। फिर निश्चित रूप से, जब सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की जाती है तो यदि सुरक्षा को स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन यदि यह पेशकश स्वीकार नहीं की जाती है इस मामले में पेशकश की गई थी परन्तु स्वीकार नहीं की गई फिर भी सरकार की जिम्मेदारी रह जाती है और उसे इससे छुटकारा नहीं मिलता है। जहां तक गृह मन्त्री के कहने की बात है जैसे कि श्री सैफुद्दीन सोज ने कहा था कि तथ्यों की जांच की जा सकती है। अब चाहे कोई भी तथ्य हमारे सम्मुख आये हों लेकिन मौलवी फारूख के शरीर को मीरवाइज मंजिल तक एक जलूस में ले जाया गया। कर्फ्यू का

कोई उल्लेख नहीं है। रास्ते में इस्लामिया कालेज के निकट भीड़ के एक वर्ग ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। इसका फायदा उठाते हुए उग्रवादी, भीड़ में मिल गये और सुरक्षा बलों पर ए.के.47 और अन्य हथियारों से गोली चलाने लगे। अतः इससे पता नहीं चलता है कि भीड़ पर गोली चलाई गयी लेकिन यही वह स्थिति थी जब आपस में गोलियां चलीं। वैसे यह सच है कि जब आपस में गोली चली तो जहां से गोली चल रही थी वहां लक्ष्य भेद किया गया था लेकिन अन्य लोग भी हताहत हुये। और हमें ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन ए. के. 47 राईफलों का सामना करते वक्त ऐसी स्थिति में उनकी यह प्रतिक्रिया होनी लाजमी थी कि इसको कैसे विफल किया जाये : मुख्य मुद्दा तो कश्मीर के लोगों का है और अन्ततः इसका समाधान कश्मीर के लोगों से आना चाहिए। हमारी नीति स्पष्ट है और हमें इनके दुखों के निवारण में लगना चाहिए और यदि उनकी कोई नहीं शिकायतें हैं तो हमें उन्हें दूर करना चाहिए तथा उन्हें विकास और अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में संतुष्ट करना चाहिए। इसी वजह से मैं समझता हूं कि कश्मीर के लोगों को शामिल किये बिना कोई समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही हमें सीमा के पार चल रहे गहरे षडयन्त्र को भी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे देश में अलगाववाद फैलाने और छिन्न-भिन्न करने के लिए दुर्भावना पूर्ण षडयन्त्रकारी योजना चल रही है। सीमा के पार शिविर लगे हैं, शिविर खोले जा रहे हैं तथा देशों की विभिन्न राजधानियों के लोगों को भी यह लग रहा है कि यह सब वहां चल रहा है। इस बात का हमें सामना करना है। पंजाब में भी यही स्थिति है। मुख्य विषय तो यही है। यह तो पंजाब की सुरक्षा तथा जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा का ध्यान रखने की बात है। हमारी सुरक्षा और अखंडता को होने वाले खतरे को देखते हुए हमें इसका कड़ाई से मुकाबला करना चाहिए और हम यह करने के लिए कृत संकल्प हैं। इस संबंध में हम बहुत स्पष्ट हैं।

एक माननीय सदस्य : सीमाओं को सील करने के बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, हमने यह बात कही है। सरकार ने अपनी पूरी क्षमता से सीमाओं को सील करने का विचार किया है। साथ ही हमें मानव अधिकारों, मानवीय पहलू लोगों की समस्याओं तथा लोगों को शामिल करने के सम्बन्ध में संवेदनशील होना चाहिए। मैं समझता हूं इस मिलेजुले दृष्टिकोण के प्रति कोई विवाद नहीं है और सरकार इस संबंध में पूरा न्याय करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है और मैं कहूंगा कि सदस्य अन्य नोटिस दे सकते हैं तथा कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार कर सकती है ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, प्रधानमंत्री जी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, कल सभा में महम का मुद्दा उठाया गया था......
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, हमें प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री को बुलाया है......

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : स्थगन प्रस्ताव के बारे में क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव पर अपनी सम्मति नहीं दी है। मैंने कहा था कि नोटिस दिये जा सकते हैं तथा उन पर कार्यमंत्रणा समिति विचार करेगी...

(व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री वसंत साठे : महोदय प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 376 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जब तक एक विषय पूरा नहीं होता है तब तक दूसरा नहीं लेंगे। अब यहां स्थगन प्रस्ताव है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए अपनी सम्मति नहीं दी थी और नोटिस दिये जा सकते हैं तथा कार्य मंत्रणा समिति सदस्यों द्वारा दिये गये नोटिसों के आधार पर इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस पर विचार कर सकती है...

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, यह प्रक्रिया नहीं है। मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के के लिए जोर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए इजाजत नहीं दी है...

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : महोदय, नियम 376 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो. सैफुद्दीन सोज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि आपको मेरा स्थगन प्रस्ताव रद्द करना था तो मुझे 11 म. प. तक प्रश्न काल से पहले बताना था। लेकिन अब उस के बारे में आप कह रहे हैं कि यह कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष आयेगा। स्थगन प्रस्ताव अभी तक अनिर्णित है। अतः आपको अभी निर्णय लेना चाहिए। मैं स्थगन प्रस्ताव के लिए जोर दे रहा हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा था कि मैंने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी सम्मति नहीं दी है...

(व्यवधान)

प्रो. सैफुद्दीन सोज : यह कार्य मंत्रणा समिति को नहीं जा सकता है। मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के लिए कह रहा हूं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा था कि आप नये नोटिस दे सकते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव नहीं। मान लिया कि आप नियम 193 के अन्तर्गत नोटिस देते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने स्थगन प्रस्ताव रद्द कर दिया है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : लेकिन आपने मुझे कारण भी नहीं बताया। मुझे इस प्रकार सूचित नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा अन्तिम विनिश्चय है। हां, प्रधान मन्त्री महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, अब हमें प्रधान मन्त्री को सुनना चाहिए। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

शर्मा जी, आप बैठ जायें। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जाइए।

1.34 म. प.

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

हरियाणा में हाल की घटनाएं

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, कल महम का मुद्दा उठाया गया था। विपक्ष के नेता ने यहां सभा में कहा था कि सरकार का निर्णय यहां और अभी बताया जाये। इन शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा था। मैंने फिर कहा था कि मैं इस मामले को मंत्रिमंडल में उठाऊंगा और फिर आज पुनः सभा में आऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सभा में आऊं और रिपोर्ट दूं। महोदय, मैं सभा को बताना चाहूंगा कि जनता दल अध्यक्ष, श्री बोम्बई ने हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला से आग्रह किया है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए उन्हें इस पद की गरिमा को बनाये रखने के लिए और उन लोकतान्त्रिक मूल्यों को बनाये रखने के लिए जिनके प्रति जनता दल वचन बद्ध है मुख्य मंत्री पद से हट जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने उन्हें कहा